राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2274/2023

डॉ. चन्द्रेश पारीक —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 11.06.1996 द्वारा कॉलेज व्याख्याता के पद पर हुई थी। अपीलार्थी वर्ष 2010 में सह आचार्य (रसायन विज्ञान) के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी वर्तमान में सह आचार्य (रसायन विज्ञान) के पद पर जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय कन्या कॉलेज, कोटा से बारां किया गया। अपीलार्थी के स्थान पर किसी को पदस्थापित नहीं किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को दिनांक 16.01.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी ने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण दिनांक 17.01.2023 को चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन किया था (अनुलग्नक–3)। आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 16.01.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 531/2023 दायर की, जिसमें माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 09.02.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 10.02.2023 द्वारा अपनी ज्वाइनिंग प्राचार्य जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा को और दिनांक 13.02.2023 को आयुक्त, उच्च शिक्षा को ज्वाइनिंग भी सौंपी (अनुलग्नक–5), लेकिन उन्होंने अपीलार्थी को ज्वाइनिंग की अनुमति नहीं दी और माननीय अधिकरण के आदेश की अवहेलना की गई। अपीलार्थी ने नियमित रूप से ऑनलाइन और कार्यालय में

उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज की, लेकिन उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी गई (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी ने अपील संख्या 531/2023 द्वारा एक अवमानना याचिका प्रस्तुत करने पर माननीय अधिकरण द्वारा नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को दे दिए गए और अवमाननाकर्ता को अधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। उसके बाद प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 29.03.2023 द्वारा पर स्थानांतरण आदेश वापस ले लिया (अनुलग्नक–7)। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 31.03.2023 (अनुलग्नक–8) द्वारा जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 16.01.2023 पारित करने की तिथि से दिनांक 31.03.2023 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक का बकाया वेतन जारी नहीं किया गया और इसलिए अपीलार्थी का कुल तीन महीनों का वेतन अभी भी बाकी है, जिसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं थी। अपीलार्थी उपरोक्त अवधि का वेतन पाने का पात्र है। अपीलार्थी ने बकाया वेतन दिए जाने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया, परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई (अनुलग्नक–9)।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाए कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान से कार्यमुक्ति आदेश पारित करने की तिथि 16.01.2023 से कार्यभार ग्रहण आदेश दिनांक 31.03.2023 तक तीन महीने का बकाया वेतन जारी किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का महाविद्यालय में कार्यग्रहण नहीं किये जाने से वेतन आहरण नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.01.2023 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा से राजकीय महाविद्यालय, बारां में किया गया था। माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2023 को प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा के समक्ष उपस्थिति होकर कार्यग्रहण किये जाने हेतु अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया स्वीकार्य है। विभाग के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना की गई है। अपीलार्थी ने ईमेल के द्वारा महाविद्याालय में उपस्थिति प्रस्तुत की है। माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश की पालना में अपीलार्थी के संबंध में विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश को प्रत्याहारित किया जा चुका है तथा विभागीय आदेशों की पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.03.2023 को राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा में कार्यग्रहण किया है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.01.2023 से 09.02.2023 तक (कुल 24 दिवस) का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। प्राचार्य राज. कन्या महाविधालय, कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश के उपरान्त दिनांक 11.02.2023 से 31.03.2023 तक ईमेल के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा को प्रस्तुत की है, जो नियमानुसार मान्य नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2023 को अधिकरण में दायर अपील संख्या 531/2023 चन्द्रेश पारीक बनाम राजस्थान राज्य में अधिकरण के अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 09.02.2023 द्वारा स्थानान्तरण आदेश एवं कार्यमुक्ति आदेश का क्रियान्वयन अधिकरण के आगामी आदेशों तक स्थगित रखा गया और अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदेश जारी करने से के पदस्थापन स्थान पर ही कार्यरत रखा जावे हेतु आदेशित किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस आदेश की अनुपालना में प्राचार्य जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा में दिनांक 10.02.2023 को उपस्थिति दिया जाना स्पष्ट एवं निर्विवाद है और अपीलार्थी ने दिनांक 13.02.2023 को आयुक्त, उच्च शिक्षा, जयपुर को भी अधिकरण के आदेश की अनुपालना में कार्यग्रहण करने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.02.2023 द्वारा जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा में कार्यग्रहण कराने हेतु पुनः निवेदन किया गया और इस संबंध में निवेदन किए जाने के बावजूद कार्यग्रहण नहीं कराने के बाद अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अवमानना याचिका (अपील संख्या 531/2023) को प्रस्तुत की गई, जिसमें अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 28.03.2023 द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को आगामी आदेश दिनांक 04.04.2023 को पालना रिपोर्ट के साथ अधिकरण में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात् आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर के आदेश दिनांक 29.03.2023 द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2023 को प्रत्याहरित कर लिया गया और प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा द्वारा आयुक्तालय के उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को कार्यग्रहण कराया जाकर कार्यग्रहण रिपोर्ट उच्चाधिकारी को प्रस्तुत की। स्पष्ट है कि अधिकरण के स्थगन आदेश के बावजूद प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा और आयुक्तालय, जयपुर द्वारा अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया, जबकि अपीलार्थी निरन्तर व्यक्तिश और इमेल के जरिये निवेदन करता रहा और अंततः अवमानना याचिका दायर करने और अधिकरण द्वारा आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर को पालना रिपोर्ट सहित व्यक्तिशः उपस्थित होने हेतु निर्देश दिए जाने पर कार्यग्रहण करवाया गया। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा द्वारा संयुक्त निदेशक (HRD) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को प्रेषित पत्र दिनांक 05.12.2023 प्रस्तुत किया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 09.02.2023 के पश्चात अपीलार्थी दिनांक 10.02.2023 को कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित होकर प्राचार्य जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा को निवेदन किया गया और प्राचार्य ने अधिकरण के आदेश के संबंध में आयुक्तालय, जयपुर से मार्गदर्शन पश्चात् ही कार्यग्रहण कराये जाने हेतु अपीलार्थी को कहा और अपीलार्थी

दिनांक 11.02.2023 से 31.03.2023 तक इमेल के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा में देता रहा, क्योंकि प्रत्यर्थी विभाग ने कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी थी। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश प्रत्याहरित किए जाने पर प्राचार्य ने अपीलार्थी को दिनांक 31.03.2023 को कार्यग्रहण करवाया गया। उस पत्र से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के दिनांक 17.01.2023 से 09.02.2023 कुल 24 दिवस का चिकित्सा अवकाश आवेदन मय आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जो लम्बित है एवं अपीलार्थी को दिनांक 10.02.2023 से 31.03.2023 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया। प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा ने आयुक्त कॉलेज शिक्षा से मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकरण के स्थगन आदेश दिनांक 09.02.2023 के पश्चात अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10.02.2023 को प्राचार्य जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दिए जाने के बावजूद उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया गया और अपीलार्थी को नियमित रूप से इमेल के माध्यम से उपस्थिति देने हेतु प्राचार्य जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा द्वारा अपीलार्थी को निर्देशित किया गया एवं आयुक्तालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने के पश्चात कार्यग्रहण कराने हेतु कहा। अंततः अपीलार्थी द्वारा अवमानना याचिका दायर करने पर उसे कार्यग्रहण करवाया जाना उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है। हम इस प्रकरण में यह पाते है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपनी हठधर्मिता के चलते अधिकरण के स्थगन आदेशों के बावजूद अपीलार्थी को जान–बूझकर कार्यग्रहण नहीं कराया जाना कतई उचित नहीं है, जबकि अपीलार्थी ने कार्यग्रहण कराने हेतु लगातार निवेदन करता रहा एवं नियमित रूप से उपस्थित देता रहा है। अतः हम यह उचित समझते है कि अपीलार्थी के लम्बित चिकित्सा अवकाश को स्वीकृत किया जाकर इस अवधि का नियमानुसार वेतन भुगतान किया जावे। साथ ही अपीलार्थी को दिनांक 10.02.2023 से 31.03.2023 तक की अवधि का वेतन भुगतान किया जावे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे अधिकरण के आदेशों की समय पर पालना की जा सके। अधिकरण के इस आदेश की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक माह में की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य